विषय :—रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली हिदायतों में उपायुक्तों से ऊपर दर्शाए जाने बारे।

क्या सभी वित्तायुक्त एवं सचिव/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देंगे ?

2. यह अवलोकन किया गया है कि सामान्यत: राज्य सरकार के प्रशासकीय विभागो द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को जारी की जाने वाली हिदायतों में रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की placement उपायुक्तों एवं उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) से नीचे दर्शायी जाती है जबकि order of precedence में रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की placement उपायुक्तों से ऊपर दर्शायी गई है, अत: मामले में विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी विभागों द्वारा जारी की जाने वाली हिदायतों में रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा की placement उपायुक्तों से ऊपर रखी जाए। ऐसा ही मौखिक अवलोकन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी सिविल रिट याचिका नं0 7431/1998—सुमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य की सुनवाई के दौरान किया गया है।

उनसे अनुरोध है कि उक्त निर्णय को उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया जाए ताकि वे इसका दृढ़ता से पालन कर सकें।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

सभी वित्तायुक्त एवं सचिव/आयुक्त
एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।

प्रशा0 क्रमांक 12/54/98-2 जी0 एस0-1

दिनांक 10 नवम्बर, 1999